OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

OLD ST. STEPHEN'S COLLEGE BUILDING, KASHMERE GATE
DELHI-110006
Helpline No. 1800-111-400/1950, Website: www.ceodelhi.gov.in

(10)
5/2/2020

PUBLIC NOTICE

Prohibition on display to the public any election matter by means of cinematograph, television or other similar apparatus, and holding public meetings during period of 48 hours ending with hour fixed for conclusion of poll.

Kind attention of general public, all media houses, political parties and all contesting candidates is invited to the Section 126 of the Representation of People Act, 1951 which states that —

(1) No person shall

(a) Convene, hold, attend, join or address any public meeting or procession in connection with an election; or

(b) Display to the public any election matter by means of cinematograph, television or other similar other apparatus; or

(c) propagate any election matter to the public by holding or by arranging the holding of, any musical concert or any theatrical performance or any other entertainment or amusement with a view to attracting the members of the public thereto, **in any polling area during the period of 48 hours ending with the hours fixed for the conclusion of the poll for any election in that polling area.**

It is further informed that as per Sub-Section 2 of Section 126 of the said Act, any person who contravenes of the provisions of the sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

It is, therefore, informed not to convene, hold or attend or join or address any public meeting or procession in connection with General Election to Legislative Assembly of NCT of Delhi-2020 during the aforesaid period. It is also informed not to telecast or broadcast advertisements of political nature by means mentioned above **(which may include electronic media like radio, television, cable channel, internet, website, social media, bulk SMS and projector, live media etc.) during the period mentioned.**

It is further informed that during the aforesaid period, star campaigners and other Political Leaders should refrain from addressing the media by way of press conferences and giving interviews on election matters.

Further, it is informed that the polls in NCT of Delhi for the **General Election to Legislative Assembly of NCT of Delhi-2020 will be held on 08.02.2020 (Saturday) between 08.00 AM to 06.00 PM.**

Sd/-
SATNAM SINGH
SPL. CHIEF ELECTORAL OFFICER

DIP/Shabdarth/1341/19-20

Scanned by CamScanner

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

ओल्ड सेंट स्टीफेंस कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

हेल्पलाईन सं. 1800-111-400/1950: वेबसाइट : :www.ceodelhi.gov.in

सार्वजनिक सूचना

5/2/2020

चुनाव समाप्ति के लिए नियत समय से पहले अड़तालिस (48) घंटे में सार्वजनिक बैठकों, चलचित्र, टेलीविज़न या उसी प्रकार के अन्य उपकरणों के माध्यम से किसी भी राजनीतिक विज्ञापनों (चुनाव से सम्बंधित) के प्रदर्शन और जनसभा पर प्रतिबन्ध

जनसाधारण, सभी अलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस राजनीतिक दलों तथा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों का ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 की और आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव क्षेत्र में किसी भी चुनाव समाप्ति के लिए नियत समय से पहले अड़तालिस (48) घंटे के दौरान मतदान क्षेत्र में :-

(1) कोई भी व्यक्ति :

(क) चुनाव के सम्बन्ध में कोई भी सार्वजनिक बैठक या जुलूस का आह्वान, आयोजन भागीदारी नहीं करेगा अथवा

(a) जनसाधारण के लिए चलचित्र, टेलीविज़न या उसी प्रकार के अन्य उपकरणों के माध्यम से चुनाव सामग्री का प्रदर्शन नहीं करेगा; अथवा

(b) जनसाधारण को आकर्षित करने के लिए जनता में किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री के प्रचार के उद्देश्य से संगीत कार्यक्रम या किसी भी प्रकार के नाटकिय प्रदर्शन या किसी प्रकार मनोरंजन या मन बहलाने के कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेगा।

वर्णित अधिनियम के अनुभाग 126 के उपअनुभाग 2 के अनुसार, सूचित किया जाता है कि किसी भी वक्ति द्वारा उप-अनुभाग (1) के प्रावधानों की उल्लंघन करना दंडनियम हैं। इसके लिए कारावास, जिसको दो साल तक बढ़ाया जा सकता हैं, अथवा जुर्माना, अथवा दोनों हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, धारा 126(3) में कहा गया हैं कि चुनाव सामग्री अभिव्यक्ति का आशय ऐसी सामग्री से है जोकि चुनाव के परिणाम में प्रभाव डालने या प्रभावित करने के उद्देश्य से परिकल्पित हो।

अतः सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालनों का अनुपालन करें तथा चुनाव के सम्बंध में किसी भी बैठक या जुलूस का आह्वाहन, आयोजन, भागीदारी या सम्बोधन नहीं करें और वह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान दल/संघटन/उम्मीदवारों द्वारा उपर्युक्त माध्यमों **(जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, बल्क एस एम एस, लाइव मीडिया आदि जैसे अलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल हैं) से राजनीतिक स्वरूप/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आम जुनाव-2020 से सम्बंधित विज्ञापनों को प्रसारित या प्रचारित नहीं किया जाएं।**

इसके अतिरिक्त यंह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान मुख्य प्रचारक और दूसरे राजनीतिक नेताओं को प्रेस कान्फ्रेंस के माध्य से मीडिया को सम्बोधत करने और किसी चुनाव सम्बंधित विषय पर इंटरव्यू से बचना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आम चुनाव 2020 दिनांक 08.02.2020 **(शनिवार) को प्रातः** 08:00 बजे से सायं 06:00 बजे के बीच आयोजित होंगे।

यह सूचना मार्गदर्शन और सम्बंधित पक्षों के अनुपालन के लिए जारी की जाती है।

ह.
सतनाम सिंह
विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी

DIP/Shabdarth/1341/19-20

Scanned by CamScanner